R.M.M. Law College Saharsa

Nareshji Anand
(Lecturer)

LL.B Part - IInd
Paper - 1st
Muslim Law Family Law

मुस्लिम कौन

यदि मुस्लिम विधि एक मुस्लिम को लागू होती है तो स्वभाविक ही है कि प्रश्न उठे कि मुस्लिम कौन है? इस बारे में विधिक न्यायालयों और धर्मवेत्ताओं में काफी मतभेद है। स्वयं धर्मवेत्ताओं में इस विषय पर तीन प्रकार के मत हैं:-

(1) मुस्लिम वह व्यक्ति है जो मुहम्मद को पैगम्बर मानता है।

(2) जो भी व्यक्ति कलमा में विश्वास रखता हो मुस्लिम है। कलमा का अर्थ है कि 'उस' एक अल्लाह के सिवा अन्य कोई अल्लाह नहीं है, और मुहम्मद पैगम्बर उस अल्लाह के दूत हैं।

(3) मुस्लिम वह है जो न केवल उपरोक्त दोनों बातों में विश्वास रखता है, अपितु साथ में कुछ अन्य नियमों का भी पालन करता है, जैसे मानवीय व्यवहार के निम्न पाँच सूत्रीय वर्गीकरण में विश्वास रखता है:

(a) फर्ज यानी ऐसे कार्य जिनका निभाना पुरस्कृत होता है और कार्यलोप दण्डित होता है।

Scanned with CamScanner

(b) मुस्तहाब, यानी ऐसे कार्य जिनका करना पुरस्कृत होता है किन्तु उनका कार्यलोप दण्डिकर नहीं होता;

(c) 'जायज' या मुबाह, यानी वे कार्य जिनके लिए केवल अनुमति मात्र है, उनके लिए न तो पुरस्कार है और न ही दण्ड।

(d) 'मकरूह' यानी वे कार्य जो ना पसंद है, किन्तु मोटे तौर पर वैध है।

(e) 'हराम' यानी वे कार्य जो कड़ाई से निषिद्ध हैं तथा दण्डनीय हैं।

किन्तु यह प्रमुखतया धार्मिक विवाद है और विधिक न्यायालय इस क्षेत्र में जाना आवश्यक नहीं मानते। न्यायालयों की सीधी सी नीति है:-

"हर वह व्यक्ति जो अल्लाह एक ही है ऐसा मानता है और मुहम्मद को उसके पैगम्बर के रूप में मानता है, मुसलमान है, फिर वह चाहे किसी भी पंथ का हो।"

हम भारत में, इस सम्बन्ध में जो स्थिति है उसकी समीक्षा इस प्रकार कर सकते हैं:-

शरीअत के अनुसार माँ-बाप में कोई भी एक या दोनों मुसलमान हो तो उनसे पैदा हुआ बच्चा मुसलमान है। किन्तु भारत में मुस्लिम बाप से पैदा हुआ बच्चा तो मुसलमान माना जाता है परंतु बाप यदि मुसलमान नहीं है, भले ही माँ मुसलमान है, तो वह बच्चा मुसलमान नहीं माना जाता। प्रिवी काउंसिल ने स्किनर ब. ओरडे (1871) में तथा अवध उच्च न्यायालय ने मु. अजीम खान ब. सादत अली (1931) में यही निर्णय किया है।

मुसलमान जब तक इस्लाम त्याग नहीं करता, वह मुसलमान बना रहता है। गैर मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर सकता है, तब वह मुसलमान बनजाएगा वह किस कारण धर्म परिवर्तन कर रहा है इसे जानने की आवश्यकता नहीं है, कारण धार्मिक विश्वास की सत्यता की कोई कसौटी निश्चित नहीं है। एक प्रश्न धर्म परिवर्तन प्रभावी मानने के लिए कौन सी रीति-रिवाज पूर्ण किये जाना आवश्यक है ताकि यह निश्चित हो कि व्यक्ति मुसलमान बन गया है - प्रिवी कौंसिल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा कि न्यायधीशगण आवश्यक नहीं समझते कि इस्लाम धर्म में परिवर्तन द्वारा प्रवेश करने के लिए कौन सी रीति रिवाज पूर्ण किये जायें इस बात को वे निर्धारित करें। दूसरे एक वाद में अब्दुल रज्जाक व. आगा मुहम्मद में जॉर्ड मेकनॉटेन ने बात दूसरी ओर से कही; इस्लाम की औपचारिक स्वीकृति पर्याप्त है, जब तक कि यह सिद्ध न कर दिये जाए कि वह स्वीकृति एक छद्म थी, छल थी अथवा धर्म परिवर्तित व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार तथा चारों ओर की परिस्थितियों एवं तथ्य उसके परिवर्तन को गलत सिद्ध न करे।